

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
(रामरतन सौकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
दिनांक

05 / 2025

01.05.2025

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, टोंक (राज)

.... सायल

बनाम

शराफत पुत्र अख्तर मियां जाति मुसलमान निवासी पाडे वाले का घेर
कालीपलटन टोंक थाना कोतवाली, टोंक जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-1-अभियोजन अधिकारी, राजकीय परोकार
2-गैर सायल स्वयं उप.।

निर्णय

दिनांक 30/5/25

प्रस्तुत इस्तगासे का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल शराफत पुत्र अख्तर मियां जाति मुसलमान निवासी पाडे वाले का घेर कालीपलटन टोंक थाना कोतवाली, टोंक जिला टोंक के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृत्ति में लीन है व जुआ खेलता है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में इस्तगासे में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये हैं उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरुद्ध प्रेशिक्यूशन रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की गई है और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता



Adl
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गैर सायल के विरुद्ध अभियोग क्रमशः 64/2024 दिनांक 27.02.2024 थाना कोतवाली टोंक
157/2024 दिनांक 06.05.2024 थाना कोतवाली टोंक धारा 13 RPGO अधिनियम में दर्ज
दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में
प्रस्तुत किये गये।

अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही गलत संगत में
आने के कारण आपराधिक प्रवृत्ति व गलत संगत करने व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के
लिये आये दिन जुआ खेलता है, दूसरों को जुआ खिलवाता है जिससे समाज के लोगों पर
काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते हैं।
इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी
स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए
पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

गैर सायल की बहस सुनी गई। गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन
प्रकरणों में आरोप लगाये गये हैं वह केवल धारा 13 RPGO अधिनियम के हैं न कि किसी बड़े
अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के हैं तथा सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका
है। गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस
संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है।
वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल ने निवेदन किया कि वर्तमान में वह
किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है तथा उसके खिलाफ कोई प्रकरण
विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर
सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के
विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के
विरुद्ध उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन
करने से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के
लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड़ रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल आपराधिक
कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज हित
में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का
अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर
सुप्रसन्न पुत्र अख्तर मियां जाति मुसलमान निवासी पाडे वाले का घर कालीपलटन




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

टोंक थाना कोतवाली, जिला टोंक को दिनांक 10.06.2025 से 30.06.2025 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक से पुलिस थाना बरौनी जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बरौनी जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना बरौनी जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रामरत्न साँकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक